


दिशा निर्देश

“हर घर बिजली, डिस्कॉम आपके द्वार”के अन्तर्गत तीन शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। इन शिविरों में आम जन में बड़ा ही उत्साह देखने में आया। जन प्रतिनिधियों एवं विशेष रूप से सरपंचों ने इन शिविरों में समग्र भागीदारी की। शिविरों के आयोजन का निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने पूर्व में जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है, इसलिये सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिविरों के आयोजन के लिये निम्न कार्यवाहियाँ अवश्य कर लें।

1. वर्तमान में लम्बित घरेलू आवेदनों के माँग पत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2015 तक जारी कर दिया जावे।
2. डिमान्ड जमा सभी आवेदनों के कनेक्शन शिविर दिवस 11 अक्टूबर 2015 से पूर्व जारी किये जावे।
3. शिविर आयोजन से पूर्व कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता सरपंच व अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम बनाकर गाँव गाँव जा कर ऐसे आबादी क्षेत्रों जहाँ वितरण तंत्र मौजूद है आवेदन प्राप्त कर लें।
4. ऐसे ट्रांसफार्मर जो वर्तमान में विद्युतीकृत गाँव व ढाणियों में स्थापित हो तथा क्षमता से अधिक भार संबंधित है उनकी क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 तक तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करावें। ऐसे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का साप्ताहिक प्लान शिविर में प्रदर्शित करते हुए कार्य अक्टूबर माह में ही पूरा करें।
5. विद्युतीकृत क्षेत्र में सघन विद्युतीकरण हेतु ऐसे ट्रांसफार्मरों जिनकी क्षमता वृद्धि हेतु डी.डी.यू.जी.जे.वाई. में योजना स्वीकृत हो चुकी हो या स्वीकृति हेतु केन्द्र को भेजी गई है उनके बारे में शिविरों में इस योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने का समयबद्ध विवरण भी प्रदर्शित करें जिनकी क्षमता वृद्धि करने से आबादी क्षेत्र में सर्विस लाईन अथवा वितरण तंत्र के विस्तार द्वारा अतिरिक्त घरेलू कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।
6. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत ढाणियों के विद्युतीकरण की सम्भावित दिनांक/माह के बारे में अधिशाषी अभियन्ता पवस कॉन्ट्रैक्टर से तुरन्त विचार विमर्श कर शिविर स्थल पर प्रदर्शित करावें।
7. यदि किसी अविद्युतीकृत ढाणियों के आबादी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित तंत्र में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से सर्विस लाईन कनेक्शन दिये जा सकते हो परन्तु


ऐसे स्थानों को डी.डी.यू.जी.जे.वाई.योजना में स्वीकृती हेतु चिन्हित नहीं किया है तो ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने के लिए योजना बनाकर भेजें ताकि वित्तीय आवश्यकता हेतु कार्यवाही की जा सके।

8. आगामी शिविरों में ओ एण्ड एम के अधिशाषी/अधीक्षण/सम्भागीय अभियंता प्रत्येक निरीक्षित शिविर के आयोजन के बारे में निरीक्षण नोट व कमियाँ पाये जाने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2015 तक निदेशक तकनीकी को भेजेंगे।
9. सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शिविरों के आयोजन के सम्बंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(मास्कर/ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स,
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (एमएम/डीडीयूजीवेवाई/पीपीएम/वाणिज्य/आईटी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स,
5. अधीक्षण अभियंता (टी.डब्लू/आई.टी./पवस), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स,
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व/कंट्रोल/.....),/ओएसडी (एटीआर) जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम्स, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
8. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. प्रावैधिक सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम्स, जयपुर।


(टी.एस. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)